

## अध्याय III अनुपालना लेखापरीक्षा

### वन विभाग

#### 3.1 रणथम्भौर एवं सरिस्का बाघ रिजर्वस् के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में स्थित ग्रामों का पुनःस्थापन

##### परिचय

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 'बाघ परियोजना' (योजना) अप्रैल 1973 में आरम्भ की गई थी। योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यपरक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी मूल्यों के लिये भारत में बाघों की व्यवहार्य जनसंख्या बनाये रखना सुनिश्चित करने तथा लोगों के लाभ, शिक्षा एवं खुशियों के लिए जैविक महत्ता के क्षेत्रों का राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हर समय संरक्षण करना था। भारत सरकार इस योजना के माध्यम से राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराती है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 यह अपेक्षा करता है कि बाघों/वन्यजीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए, बाघ रिजर्वस् के मुख्य या संवेदनशील बाघ/वन्यजीव आवास स्थलों<sup>1</sup> व संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को संशोधित किया जाये और उन्हें पुनःस्थापित किया जाये।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तर्गत एक वैधानिक निकाय है, ने फरवरी 2008 में ग्राम पुनःस्थापन योजना तैयार करने के प्रारूप सहित मुख्य/संवेदनशील बाघ आवास स्थलों के लिये चल रही योजना 'बाघ परियोजना' के क्रियान्वयन के लिए निर्देशों का समूह जारी किया गया। बाघ रिजर्व के मुख्य/संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में वन्य जीवों के सुरक्षित आवास निर्धारण और एक निश्चित समय सीमा में ग्रामवासियों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु निम्नलिखित विकल्पों/मानकों सहित एक नए पैकेज का प्रस्ताव किया गया था जो कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विस्थापन में होने वाली कठिनाइयों/अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुये पर्याप्त रूप से राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 का अनुपालन करता है।

<sup>1</sup> बाघ और वन्यजीव के संरक्षण के उद्देश्य से सुरक्षित आवास हेतु अपेक्षित क्षेत्र।

विकल्प-I यदि परिवार, वन विभाग की किसी प्रकार की पुनर्वास/पुनःस्थापन प्रक्रिया में शामिल न होने का विकल्प चुने तो परिवार को पूरी पैकेज राशि ₹ 10 लाख प्रति परिवार का भुगतान।

विकल्प-II वन विभाग द्वारा संरक्षित बाघ रिजर्व क्षेत्र से ग्रामों का पुनःस्थापन/पुनर्वास करना।

विकल्प-II के मामले में ₹ 10 लाख प्रति परिवार की दर से निम्नलिखित पैकेज प्रस्तावित किया गया था:

क	कृषि भूमि लेना और विकास (2 हैक्टर)	कुल पैकेज का 35 प्रतिशत
ख	अधिकारों का निपटारा	कुल पैकेज का 30 प्रतिशत
ग	आवास भूमि और आवास निर्माण	कुल पैकेज का 20 प्रतिशत
घ	प्रोत्साहन	कुल पैकेज का 5 प्रतिशत
ङ	परिवार को देय सामुदायिक सुविधा (पहुंच रोड, सिंचाई, पेयजल, सफाई, बिजली, दूर-संचार, सामुदायिक भवन, पूजा हेतु धार्मिक स्थल, कब्रिस्तान/शवदाह ग्रह स्थल)	कुल पैकेज का 10 प्रतिशत

पुनःस्थापन प्रक्रिया की निगरानी/क्रियान्वयन जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा किया जाना था। पुनःस्थापन स्वैच्छिक था तथा केवल लोगों की सहमति पर ही किया जाना था। पुनःस्थापन प्रक्रिया खुली रहेगी क्योंकि पुनःस्थापन प्रक्रिया राज्यों के कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगी। सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पुनःस्थापन समिति की मीटिंग<sup>2</sup> में मुआवजा भुगतान एवं विस्थापन का तरीका निर्धारित किया गया था। क्षेत्र निदेशक द्वारा ग्राम पुनःस्थापन योजना प्रधान वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी थी।

राजस्थान राज्य में दो बाघ रिजर्व, रणथम्भौर बाघ रिजर्व एवं सरिस्का बाघ रिजर्व हैं। रणथम्भौर बाघ रिजर्व के लिए 1113.36 वर्ग किलोमीटर एवं सरिस्का बाघ रिजर्व के लिए 881.11 वर्ग किलोमीटर का कुल मुख्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया है जो सवाई माधोपुर, करौली और अलवर जिलों में फैला हुआ है। संरक्षित क्षेत्रों में 94 ग्राम (रणथम्भौर बाघ रिजर्व: 66 और सरिस्का बाघ रिजर्व: 28) स्थित है जिनका विस्थापन किया जाना था।

2008-14 के दौरान रणथम्भौर बाघ रिजर्व एवं सरिस्का बाघ रिजर्व के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों में स्थित ग्रामों के पुनःस्थापन की प्रगति की जांच कर पता लगाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर, उप वन संरक्षक, रणथम्भौर, करौली एवं सरिस्का कार्यालयों की लेखापरीक्षा (मार्च से

<sup>2</sup> सरिस्का बाघ रिजर्व में अगस्त 2008 और रणथम्भौर बाघ रिजर्व में फरवरी 2009

मई 2014) की गई। लेखापरीक्षा जांच के परिणाम सरकार को सितम्बर 2014 में जारी किये गये तथा उनके उत्तर (दिसम्बर 2014) को प्रकरणों को अंतिम रूप देते समय सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आयी मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियों को आगे के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

### 3.1.1 रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व में स्थित ग्रामों का विस्थापन

संशोधित दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) के पैरा 4.9 में कहा गया कि वन्यजीवों के सुरक्षित आवास और बाघ रिजर्व के मुख्य/संवेदनशील बाघ आवास स्थलों से गांवों का विस्थापन एक समय सीमा रेखा में निर्धारित किया जाना चाहिए। बाघ परियोजना हेतु बाद में अक्टूबर 2012 में जारी विस्तृत दिशानिर्देशों में भी तय किया गया था कि सुरक्षित आवास व संवेदनशील बाघ आवास स्थलों से ग्रामों का विस्थापन एक समय सीमा रेखा में बेहतर विस्थापन पैकेज दिया जाकर निर्धारित किया जाना चाहिये।

ग्राम विस्थापन योजनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित मीटिंग (नवम्बर 2010) में रणथम्भौर बाघ रिजर्व के 66 ग्रामों की मार्च 2013-14 तक की समय सीमा रेखा की विस्थापन योजना और सरिस्का बाघ रिजर्व के 28 ग्रामों की 2015-16 तक की समय सीमा रेखा की विस्थापन योजना तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत 94 ग्रामों की समय सीमा रेखा के विरुद्ध केवल 31 ग्रामों (रणथम्भौर बाघ रिजर्व के 19 और सरिस्का बाघ रिजर्व के 12) की वर्षवार विस्थापन योजना उप वन संरक्षक ने तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की, इनमें से 20 ग्रामों की विस्थापन योजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2008-09 से 2013-14 की अवधि के लिये अनुमोदित की गई। मार्च 2014 तक विस्थापित ग्रामों की स्थिति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 8: विस्थापित ग्रामों की स्थिति

टाइगर रिजर्व	विस्थापन हेतु स्वीकृत ग्रामों/परिवारों की संख्या		पूर्णतया विस्थापित ग्रामों/परिवारों की संख्या		विस्थापित नहीं किये गये ग्रामों/ परिवारों की संख्या	
	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार	ग्राम	परिवार
रणथम्भौर बाघ रिजर्व	13	1930	4	268	9	609
सरिस्का बाघ रिजर्व	7	644	2	136	5	192
<b>योग</b>	<b>20</b>	<b>2574</b>	<b>6</b>	<b>404</b>	<b>14</b>	<b>801</b>

यह देखा गया कि विस्थापित किये जाने वाले 20 ग्रामों में से केवल 6 ग्राम<sup>3</sup> (30 प्रतिशत) ही मार्च 2014 तक पूर्णतया विस्थापित किये गये। शेष 14 ग्राम, जिनमें 801 परिवार सम्मिलित थे, (एक ग्राम<sup>4</sup> 2008-09 से, नौ ग्राम<sup>5</sup> 2009-10 और चार ग्राम<sup>6</sup> 2010-11 से) दिसम्बर 2014 में विस्थापन की प्रक्रिया में थे।

यदि इसी गति से प्रगति जारी रहती है तो रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व में स्थित 94 ग्रामों के विस्थापन में कई वर्ष लगेंगे। उप वन संरक्षक, सरिस्का बाघ रिजर्व ने सितम्बर 2012 में बताया कि धीमी प्रगति का कारण, अलवर के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने से कृषि भूमि की दरों में वृद्धि होना है। परिणामस्वरूप, सरिस्का बाघ रिजर्व में अधिकांश परिवार विकल्प II के तहत भूमि पैकेज की मांग कर रहे थे और सरकार प्रत्येक परिवार को भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थी। इसके अलावा, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिये जाने और खनन पट्टे स्वीकृत करने की सलाह भी अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन द्वारा दी गई थी। यह भी सलाह दी गई थी कि विस्थापन के बाद की सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, सड़क, इत्यादि दिये जाने हेतु राज्य स्तर से परिपत्र जारी किया जाना चाहिए। रणथम्भौर बाघ रिजर्व के सम्बन्ध में विस्थापन की धीमी प्रगति का कारण, अप्रैल से जून के मध्य निधि का उपलब्ध नहीं होना, (जब किसानों के पास खेती का काम नहीं होने के कारण विस्थापन हेतु उपयुक्त समय होता है), परिवार की परिभाषा, वयस्क पुत्र की आयु इत्यादि का स्पष्ट नहीं होना माना गया।

यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों में सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ सम्मिलित नहीं की गई जिससे सम्बन्धित प्राधिकारी प्रेरणादायक कार्य करने के प्रति सीमित रहे। निगरानी की कमी व उच्च स्तर से निर्देशों के अभाव में पुनःस्थापन कार्य बाधित रहा। इस प्रकार, योजनान्तर्गत बाघों को सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराने का उद्देश्य विफल रहा।

सरकार ने बताया कि ग्राम सभा की सामान्य सहमति प्राप्त किये जाने के बाद ही निधियाँ प्राप्त हेतु ग्राम पुनःस्थापन योजना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत की गयी तथा व्यक्तिगत परिवारों की सहमति, ग्राम पुनःस्थापन योजना प्रस्तुत करने के बाद ही ली गयी क्योंकि, परिवारों द्वारा सहमति देने के तुरन्त बाद पैकेज राशि की मांग की जाती है। उत्तर दिशानिर्देशों के पैरा संख्या 6.1.2.5. के अनुरूप नहीं था जिसमें उल्लेखित है कि निधियाँ प्राप्त करने हेतु ग्राम पुनःस्थापन योजना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजने से पहले ग्राम सभा और प्रभावित परिवारों की लिखित में सहमति ली जानी चाहिए।

<sup>3</sup> इंडाला, माचनकी, मोरदूंगरी, पादड़ा (रणथम्भौर बाघ रिजर्व), रोटक्याला, और उमरी (सरिस्का बाघ रिजर्व)

<sup>4</sup> काकवाड़ी

<sup>5</sup> भीड़, भीमपुरा, डांगरा, धोधाकी, हिंदवाड़, कालीभाट, कथूली, मोटोरियाकी और मुडेरहेरी

<sup>6</sup> डाबली, लिलून्डा, करास्का और सुकोला

### 3.1.2 निधियां जारी होना और उपयोग

राज्य सरकार द्वारा 31 ग्रामों के लिये प्रस्तुत विस्थापन योजना में से, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2008 से 2014 के दौरान रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व के संवेदनशील बाघ आवास स्थलों से 20 ग्रामों के 2574 परिवारों के विस्थापन हेतु राशि ₹ 192.62 करोड़ स्वीकृत किये। जारी राशि ₹ 181.71 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 165.84 करोड़ व्यय किये गये। 2008-09 से 2013-14 के दौरान छः ग्राम पूर्णतया विस्थापित किये गये और शेष ग्राम विस्थापन की प्रक्रिया में थे।

2008-09 से 2013-14 के दौरान ग्रामों के विस्थापन हेतु स्वीकृत राशि के विरुद्ध बाघ रिजर्वस् द्वारा उपयोग की गई निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गयी है।

तालिका 9: निधियों की स्वीकृत और उपयोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बाघ रिजर्व	स्वीकृत राशि	जारी राशि	व्यय राशि	उपयोग नहीं की गई राशि	जारी राशि से उपयोग नहीं की गयी राशि की प्रतिशतता
रणथम्भौर बाघ रिजर्व	136.30	128.64	116.47	12.17	9.46
सरिस्का बाघ रिजर्व	52.32	53.07	49.37	3.70	6.97
<b>योग</b>	<b>192.62</b>	<b>181.71</b>	<b>165.84</b>	<b>15.87</b>	<b>8.73</b>

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार।

यह देखा गया कि 2008-09 से 2013-14 के दौरान राशि ₹ 15.87 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अलावा, अनुमोदित वार्षिक योजना परिचालन अनुसार राज्य सरकार द्वारा विस्थापन कार्य निष्पादित नहीं किये जाने के कारण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने स्वीकृत राशि ₹ 192.62 करोड़ में से ₹ 10.91 करोड़ जारी नहीं किये।

सरकार ने बताया कि मार्च 2014 के अन्त में अनुपयोगी शेष राशि की प्रतिशतता सरिस्का बाघ रिजर्व में 0.83 प्रतिशत और रणथम्भौर बाघ रिजर्व में 8.07 प्रतिशत था तथा विस्थापन योजना की स्वैच्छिक प्रकृति के मध्यनजर, वित्तीय प्रगति संतोषजनक थी। तथ्य यह है कि इस अवधि के दौरान केवल छः ग्रामों का ही पूर्णतया विस्थापन किया गया तथा शेष 14 ग्रामों के विस्थापन का उद्देश्य, जिनके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विस्थापन योजना अनुमोदित की गई थी, काफी हद तक पूर्ण नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना परिचालन की अन्य मदों में काम में ली गई राशि का विस्थापन के लिये अधिक परिवारों के प्रोत्साहन में उपयोग किया जा सकता था।

### 3.1.3 भुगतान प्राप्त करने के बाद भी परिवारों द्वारा ग्रामों/घरों को खाली नहीं करना

रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की मीटिंग (अगस्त 2008 और फरवरी 2009) में तय किया गया था कि विकल्प-I के तहत नकद पैकेज की सम्पूर्ण राशि तीन किशतों में निम्नांकित ढंग से दी जावेगी:

- पात्र परिवार की सम्पति दस्तावेजों की प्रतिलिपि, लिखित सहमति शपथ-पत्र के साथ प्राप्त होने पर पहली किशत का भुगतान किया जावेगा।
- भूमि क्रय का साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद दूसरी किशत का भुगतान किया जावेगा।
- सम्पति अभ्यर्पण व घर खाली करने के बाद तीसरी किशत का भुगतान किया जावेगा।

यह भी तय किया गया कि पहली किशत का भुगतान प्राप्त करने के एक से दो माह में परिवार अपने घर खाली कर देंगे एवं ग्राम छोड़ देंगे।

यह देखा गया कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान एक से तीन किशतों का भुगतान प्राप्त करने के बाद भी, 115 परिवारों द्वारा नीचे दी गई तालिका के विवरणानुसार मार्च 2014 तक अपने घर खाली नहीं किये गये:

तालिका 10: अपने घरों को खाली नहीं करने वाले परिवारों का विवरण

किशतें	परिवारों की संख्या जिन्होंने किशत का भुगतान प्राप्त कर लिया परन्तु अपने घरों को खाली नहीं किया					योग	रणथम्भौर बाघ रिजर्व	सरिस्का बाघ रिजर्व	राशि (₹ करोड़ में)
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14				
पहली	38	16	35	21	05	115	80	35	2.40
दूसरी	12	12	06	12	05	47	31	16	2.36
तीसरी	-	-	-	01	-	01	01	0	0.05
<b>योग</b>									<b>4.81</b>

ऊपर की स्थिति प्रदर्शित करती है कि एक से चार वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी, ₹ 4.81 करोड़ भुगतान प्राप्त करने वाले 115 परिवारों ने अपने घरों को खाली नहीं किया और अब तक (दिसम्बर 2014) बाघ रिजर्व्स में निवास कर रहे थे। यह देखा गया कि विस्थापन की शर्तों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित परिवारों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु परिवार बाघ रिजर्व्स में लगातार रह रहे थे। इसके अलावा, भुगतान प्राप्ति के बाद ग्रामों को खाली नहीं करने वाले परिवारों से भुगतान की वसूली से सम्बन्धित स्पष्ट दिशानिर्देश ना तो राज्य सरकार ने और ना ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जारी किए।

सरकार ने उत्तर में बताया कि सरिस्का बाघ रिजर्व में परिवारों के शीघ्र विस्थापन के सभी प्रयास किये जा रहे थे। इसके आगे यह कहा गया कि विस्थापन प्रक्रिया स्वैच्छिक थी और भूमि के क्रय पर निर्भर थी, इस प्रक्रिया में कभी-कभी देरी होती है। परिवारों पर कोई भी कठोर कार्यवाही अविश्वास पैदा करेगी और विस्थापन प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डालेगी। आगे, यह भी कहा गया कि जहां तक सम्भव हो, जल्दी खाली करने के लिये परिवारों को निरन्तर समझाया जा रहा है। उत्तर इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि विस्थापन की प्रक्रिया आपसी सहमति से निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर प्रारम्भ की गई थी तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की मीटिंग में यह निश्चित किया गया था कि प्रथम किश्त प्राप्ति के एक से दो माह के भीतर परिवारों द्वारा अपने घर खाली कर ग्राम छोड़ दिया जावेगा।

### 3.1.4 वयस्क पुत्र की पात्रता आयु निर्धारण की अलग-अलग व्याख्या

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सभी राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों को सूचित किया (19 मार्च 2008) कि पुनर्वास और विस्थापन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 में दी गयी परिवार की परिभाषा को अपनाया जाए। इस परिभाषा के तहत 'परिवार' में एक व्यक्ति उसका या उसकी पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, नाबालिग भाई, अविवाहित बहने, पिता, माता और उसके साथ रहने वाले अन्य सम्बन्धी, जो अपनी जीविका हेतु उस पर आश्रित हैं, शामिल हैं और इसमें एकल परिवार, जिसमें एक व्यक्ति उसका या उसकी पति/पत्नी और अवयस्क बच्चे, शामिल हैं। यद्यपि, 25 फरवरी 2008 के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित किया गया कि एक वयस्क पुत्र (18 वर्ष से ऊपर), चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कैसी भी हो, को योजना के तहत पैकेज की पात्रता हेतु अलग परिवार समझा जाये।

हमारी जांच में पाया गया कि पुरुष सदस्य, जो 18 वर्ष का हो चुका था, को 25 फरवरी 2008 के उपरोक्त पत्र के आधार पर सवाई माधोपुर जिले में पैकेज हेतु पात्र माना गया था जबकि करौली और अलवर जिलों में, पात्रता की आयु राजस्थान पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2001 के आधार पर 21 वर्ष ली गयी थी। यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पात्रता के मापदण्डों से मेल नहीं खाती थी। इस विरोधाभास ने करौली और अलवर जिलों के पात्र परिवारों/व्यक्तियों में असंतोष पैदा किया जिससे ग्रामों के विस्थापन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

सरकार ने कहा कि सर्वेक्षण दल और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की नियुक्ति जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है जिसे पात्र परिवारों की वयस्क आयु निर्धारण का विवेकाधिकार है। अलवर और करौली जिलों में, इसे 21 वर्ष निर्धारित किया गया जबकि सवाई माधोपुर में, इसे 18 वर्ष निर्धारित किया गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अलवर और करौली जिलों में वयस्क की आयु 21 वर्ष, राजस्थान पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2001 के अनुसार रखी गई थी। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि प्रभावित परिवारों में वयस्क की आयु अलग प्रकार से निर्धारित किये जाने के जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के विवेकाधिकार का ना तो दिशानिर्देशों में और ना ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों में वर्णन है तथा राजस्थान पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2001 के प्रावधानों की जगह, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 के प्रावधानों ने ले ली थी।

### 3.1.5 पात्र परिवार के पहचान की अंतिम तिथि का निर्धारण

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 के अनुच्छेद 6.3 के अनुसार पात्र व्यक्ति और परिवार की पहचान हेतु आधार रेखा सर्वेक्षण संचालित किया जाना था। राज्य सरकार ने नवम्बर 2002 में निर्देश जारी किये कि विस्थापन पैकेज के लिए सर्वेक्षण तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।

यह पता चला कि रणथम्भौर बाघ रिजर्व में पात्र परिवार की पहचान हेतु वास्तविक सर्वेक्षण तिथि स्वीकार की गई थी, जबकि सरिस्का बाघ रिजर्व में 31 मार्च 2008 अंतिम तिथि स्वीकार की गई थी। परिणामस्वरूप, व्यक्ति, जो 31 मार्च 2008 के बाद और सर्वेक्षण तिथि से पहले 21 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, सरिस्का बाघ रिजर्व में पात्र नहीं माने गये थे।

सरकार ने कहा कि सरिस्का बाघ रिजर्व में, 31 मार्च 2008 अंतिम तिथि का निर्धारण शासन सचिव, वन ने 15 दिसम्बर 2009 को किया था। इसके अलावा कहा गया कि विस्थापन प्रक्रिया जारी थी, बीच में अंतिम तिथि में किसी बदलाव का विस्थापन की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता। इसके अलावा कहा गया कि भविष्य में, नये ग्रामों के लिए सर्वेक्षण तिथि को ही अंतिम तिथि लिया जावेगा। उत्तर इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्णय, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति, 2007 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।



### 3.1.6 विस्थापित परिवारों को निर्धारित से कम कृषि भूमि प्रदान करना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) के अनुसार, विकल्प-II के मामले में, प्रत्येक परिवार को दो हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध करायी जानी थी। यदि इस प्रयोजनार्थ राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं हो तो परिभ्रांषित वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत उपयुक्त मंजूरी के बाद प्रत्यावर्तित कराया जायेगा।

यह देखा गया कि रणथम्भौर बाघ रिजर्व और सरिस्का बाघ रिजर्व में 204 परिवारों को प्रति परिवार केवल 1.6 हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध करायी गयी थी।

सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) में, प्रत्येक परिवार को 2 हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध कराये जाने की सलाह दी गयी थी, यह राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं था। उत्तर इस सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये कि पहले के दिशानिर्देशों में स्पष्टतः विहित किया गया था कि विकल्प-II के मामले में प्रत्येक परिवार को 2 हैक्टर कृषि भूमि उपलब्ध करायी जावेगी।

### 3.1.7 पारिस्थितिकी विकास समितियों को निधियां ₹ 4.22 करोड़ का अनियमित हस्तान्तरण

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी अतिरिक्त दिशानिर्देश (नवम्बर 2011) का अनुच्छेद 6.2.1.7 यह उपबन्धित करता है कि विकल्प-II के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पैकेज की 20 प्रतिशत राशि का भुगतान आवास भूमि और आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आगे, अनुच्छेद 6.2.1.8 के तहत प्रत्येक लाभार्थी/परिवार को कुल पैकेज की 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अनुच्छेद 6.3.1 के अनुसार अपेक्षित राशि प्रत्येक परिवार के एक संयुक्त बचत बैंक खाते में जमा करायी जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2002 में निर्धारित किया कि विकास कार्य पारिस्थितिकी विकास समितियों<sup>7</sup> के माध्यम से क्रियान्वित कराये जायेंगे और निष्पादित कार्य का भुगतान, दरों की मूल सूची के अनुसार किया जावेगा। संभावित वार्षिक राशि की 15 प्रतिशत की दर से समितियों को अग्रिम भुगतान अनुज्ञात किया जाना था जिसे रनिंग बिलों से समायोजित किया जाना था।

हमारी जांच में पाया गया कि ₹ 4.22 करोड़ में से ₹ 2.59 करोड़, जो आवास भूमि और आवास निर्माण तथा प्रोत्साहन से सम्बन्धित थे, लाभार्थियों को भुगतान करने हेतु और ₹ 1.63 करोड़, विकास कार्यों के निष्पादन हेतु मार्च 2014 तक

<sup>7</sup> पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन प्रत्येक ग्राम में वन की सुरक्षा और विकास कार्य निष्पादन हेतु किया जाता है।

पारिस्थितिकी विकास समितियों के बचत बैंक खातों में हस्तान्तरित किये गये। विकास कार्यों के रनिंग बिल, क्षेत्र निदेशक के कार्यालय में मार्च 2014 तक प्राप्त नहीं हुए थे। हस्तान्तरित राशि, अग्रिम के रूप में नहीं दर्शायी गयी और विस्थापन कार्यों पर अंतिम रूप से पुस्तांकित की गयी। यह भी ध्यान में आया कि ₹ 65.15 लाख<sup>8</sup> 31 मार्च 2014 को पारिस्थितिकी विकास समितियों<sup>9</sup> के बचत बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी।

सरकार ने कहा कि आवास भूमि और आवास निर्माण की राशि का पारिस्थितिकी विकास समिति को हस्तान्तरण, लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण में धन का उपयोग सुनिश्चित करने और अन्य मदों में इसके उपयोग को रोकने हेतु किया गया। उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि लाभार्थियों की निधि पारिस्थितिकी विकास समितियों के खातों में हस्तान्तरित किये जाने के आदेश ना तो राज्य सरकार ने जारी किये थे और ना ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों में प्रावधित किया गया था।

### 3.1.8 अनुश्रवण

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2008 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में विस्थापन प्रक्रिया, मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित क्रमशः राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा निगरानी/क्रियान्वित की जावेगी। यद्यपि, यह देखा गया कि ये समितियां फरवरी 2012 में, निर्देशों के जारी होने के चार वर्षों बाद गठित की गयी थी। आगे, राज्य स्तरीय निगरानी समिति की प्रत्येक छः माह में कम से कम एक सभा और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सभा होनी थी।

यह पता चला कि तीन जिलों में 2008-09 से 2013-14 के दौरान जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की 72 सभायें आयोजित की जानी थी। तथापि, केवल 48 सभायें (सवाई माधोपुर 34, करौली 2 और अलवर 12) आयोजित की गयी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 20 ग्राम, जिनकी विस्थापन योजना अनुमोदित की गयी थी, में से केवल छः ग्रामों का पूर्णतया विस्थापन किया गया, विस्थापन प्रक्रिया का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु प्रबल निगरानी, सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना आवश्यक है जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

<sup>8</sup> 14 लाभार्थियों का बकाया भुगतान ₹ 17.00 लाख, अर्जित ब्याज ₹ 8.69 लाख, कोरपस फण्ड ₹ 22.00 लाख और विविध राशि ₹ 17.46 लाख।

<sup>9</sup> पारिस्थितिकी विकास समिति-भगानी ₹ 7.39 लाख, देवरी ₹ 21.52 लाख, काकवाड़ी ₹ 31.35 लाख, उमरी ₹ 4.89 लाख।

### 3.1.9 सारांश

केन्द्र प्रायोजित योजना 'बाघ परियोजना' के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में, बाघ आवास स्थलों में रहने वाले लोगों को विस्थापन पैकेज के तहत रणथम्भौर और सरिस्का, दो बाघ रिजर्व समाविष्ट किये गये थे। पैकेज में वित्तीय सहायता के साथ-साथ बाघ रिजर्व से ग्रामों का विस्थापन और पुनर्वास सम्मिलित था। 20 ग्रामों की अनुमोदित विस्थापन योजना के विरुद्ध, केवल छः ग्रामों का पूर्णतया विस्थापन किया गया था और शेष 14 ग्राम विस्थापन की प्रक्रिया में थे। यद्यपि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति ने निर्धारित किया था कि नकद पैकेज का चयन करने वाले परिवारों को प्रथम किशत प्राप्त करने की तिथि से एक से दो महिनों के भीतर अपने परिसर खाली करने चाहिए लेकिन 115 परिवार, जिन्होंने भुगतान प्राप्त कर लिया था, अभी तक बाघ रिजर्व में निवास कर रहे थे। योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार के वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण के लिए व्याख्या में मतभेद होने के कारण विस्थापन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह भी देखा गया कि विस्थापित परिवारों को निर्धारित से कम कृषि भूमि उपलब्ध करायी गयी जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। सरिस्का रिजर्व में विस्थापन पैकेज हेतु पात्र परिवारों की पहचान के लिए आधार रेखा सर्वे तिथि की जगह सीमा रेखा तिथि स्वीकार करने का लिया गया निर्णय, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति के प्रावधानों के विपरीत था।

*यह सिफारिश की जाती है कि विस्थापन प्रक्रिया में प्रगति लाने हेतु निगरानी और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। पैकेज के लिए पात्रता हेतु परिवार की पहचान की तिथि तथा वयस्क पुत्र की पात्रता आयु के निर्धारण में एकरूपता अपनायी जानी चाहिए ताकि पात्र परिवारों/व्यक्तियों के बीच में असन्तोष पैदा न हो।*

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

### 3.2 विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा की गयी प्रमुख गतिविधियां

#### परिचय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की मांग को पूरा करता है तथा राज्य में लोगों के कल्याण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतियों एवं उपायों पर सरकार को सलाह देता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं समाज प्रभाग में विभिन्न गतिविधियां/कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं एवं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सहयोग किया जाता है।

विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां शुरू की गयीं:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग का उपयोग कर विभिन्न समस्याओं के लिए एक सार्थक समाधान प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएँ।
- जमीनी स्तर पर उपयोगी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र।
- महिलाओं के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभकारी रोजगार के लिए अवसर, काम करने की स्थिति व जीवन में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अपनाना।
- वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी खरीद एवं सॉफ्टवेयर का विकास।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी दिवस समारोह।
- प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, तकनीकी एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय कर जमीनी स्तर पर उपयुक्त कम प्रधान प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना।
- विभाग की सक्रिय भागीदारी से विज्ञान एवं समाज प्रभाग की गतिविधियों पर कार्यशाला/संगोष्ठी कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्षेत्रीय समूहों को जागरूक करना।

विज्ञान एवं समाज प्रभाग की गतिविधियों हेतु तैयार वार्षिक योजना, बजट अनुमान एवं किये गये व्यय का विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 11: तैयार वार्षिक योजना, बजट अनुमान एवं किये गये व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	तैयार वार्षिक योजना	बजट अनुमान	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	बजट अनुमानों पर व्यय की प्रतिशतता	बजट अनुमानों पर बचत की प्रतिशतता
1	2009-10	49.35	58.75	58.07	(-)0.68	98.84	1.16
2	2010-11	191.11	82.19	8.73	(-)73.46	10.62	89.38
3	2011-12	163.85	163.85	163.33	(-)0.52	99.68	0.32
4	2012-13	108.15	608.50	928.59	(+)320.09	152.60	-
5	2013-14	112.60	112.60	56.84	(-)55.76	50.48	49.52
<b>योग</b>		<b>625.06</b>	<b>1025.89</b>	<b>1215.56</b>			

स्रोत: निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर

विज्ञान एवं समाज प्रभाग की योजनाओं/गतिविधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र अध्ययन किया गया। निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थित पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षा मार्च से जून 2014 में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को सितम्बर 2014 में जारी किये गये एवं उनके प्राप्त उत्तर (अक्टूबर 2014) प्रकरणों को अन्तिम रूप देते समय शामिल किये गये।

### 3.2.1 विज्ञान एवं समाज प्रभाग द्वारा निष्पादित विभिन्न गतिविधियों पर किया गया व्यय

वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक गतिविधिवार किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 12: गतिविधिवार व्यय का विवरण

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	व्यय (₹ लाख में)
1	उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएँ	1126.57
2	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	8.95
3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र	4.00
4	महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13.14
5	प्रौद्योगिकी की खरीद एवं सॉफ्टवेयर का विकास	0.50
6	विज्ञान एवं समाज प्रभाग से सम्बन्धित गतिविधियों पर कार्यशाला/संगोष्ठी	5.40
7	प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन	7.00
8	पंजीकृत समिति का कारपस फण्ड के रूप में सहयोग जैसे कि आधारभूत नवाचार सशक्तिकरण नेटवर्क (ज्ञान)	50.00
<b>योग</b>		<b>1215.56</b>

स्रोत: निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर

- यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विभाग ने एक प्रमुख गतिविधि यथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएँ, जिसमें बायो-गैस संवर्धन संयंत्र एवं रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना सम्मिलित है, पर कुल ₹ 12.16 करोड़ में से ₹ 11.27 करोड़ का व्यय किया गया। शेष राशि, विभाग द्वारा की गयी अन्य सात गतिविधियों में विभाजित की गई।
- विभाग ने आगामी पांच वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों की रूप-रेखा तैयार करते हुए पंचवर्षीय योजना बनायी, लेकिन योजना को चलाने हेतु कोई रोडमैप या व्यापक रणनीति नहीं बनायी।

### 3.2.2 उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाएँ

पैरा 3.2.1 में वर्णित पाइलेट/विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन, जिन पर ₹ 11.27 करोड़ व्यय किये गये, की चर्चा नीचे की गयी है:

#### (i) रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना

#### (अ) विलवणीकरण संयंत्र से निकले अनुपयुक्त पानी का परित्यक्त कुओं में निर्वहन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मार्च 2012 में उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजना के अन्तर्गत चयनित जिलों<sup>10</sup> के 10 गांवों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए खारा/क्षारीय पानी के उपचार के लिए समुदाय द्वारा प्रबन्धित रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों को स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गयी। रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्र, पतली फिल्म समग्र झिल्ली की तकनीक जो केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गयी थी, पर आधारित थे। रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों का संचालन स्थानीय लाभार्थियों के एक समूह द्वारा प्रबन्धित किया जाना था। ₹ 1.60 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई जिसमें से प्रथम किस्त ₹ 1.44 करोड़ केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान को मार्च 2012 में एवं द्वितीय किस्त ₹ 9.50 लाख मार्च 2013 में जारी की गयी।

अभिलेखों एवं सात गांवों<sup>11</sup> में विभाग के अनुसंधान अधिकारी के साथ स्थलों के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि विलवणीकरण संयंत्रों से निकले रसायन युक्त अनुपयुक्त पानी, चक राजियासर, पायली एवं दान्दू गांवों में परित्यक्त कुओं में छोड़ा जा रहा था, जिसका भू-जल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

सरकार ने कहा कि अनुपयुक्त पानी का निर्वहन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अपनायी गई अनुपयुक्त पानी के प्रबन्धन की रणनीति के अनुसार परित्यक्त कुओं में डाला जा रहा था।

<sup>10</sup> भरतपुर, नागौर, जोधपुर, सर्वाइमाधोपुर एवं आदिवासी उपयोजना का एक जिला

<sup>11</sup> कृपाराम जी की ढाणी, चक राजियासर, पायली, कल्याणपुरा, खुडैराछोटा, दीपासर एवं दान्दू

यह मानते हुए कि अनुपयुक्त पानी परित्यक्त कुओं में छोड़ा जा रहा था, तथ्य यह है कि यह भू-जल को दूषित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, बिना फिल्टर किये, अनुपयुक्त पानी को सीधे ही परित्यक्त कुओं में डालने की प्रक्रिया जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की निर्दिष्ट डिजाइन, जिसमें अनुपयुक्त पानी 25 मि.मी. आर.सी.सी. रिंग एवं 20 मि.मी. क्रस्ट पत्थरों के मध्य से गुजारा जाना चाहिए, के अनुसार नहीं थी, यह अनुपयुक्त पानी में समाहित रसायन को कम करने के लिए एक फिल्टर के रूप में काम कर सकती थी।

### (ब) कार्य निष्पादन में धीमी प्रगति

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एकशन रिसर्च प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु, जिसमें लवण समस्या से प्रभावित आठ जिलों<sup>12</sup> में 50 रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना की जानी थी, ₹ 9.41 करोड़ स्वीकृत किये (मार्च 2013)। परियोजना के तहत रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना एवं कमीशनिंग के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां की जानी थी:

- फ्लोराइडयुक्त ठोस अवशिष्ट अवशेष प्रबन्धन एवं फ्लोराइड मुक्त अनुपयुक्त पानी
- पूर्व-उपचार प्रोटोकॉल, जो दूषण से झिल्ली माड्यूल की सबसे अच्छी रक्षा करता है।
- राजस्थान के लिए उपयुक्त अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की व्यवहार्यता जैसे कि ऊँट की शक्ति और सौर ऊर्जा।

इसके अलावा, तकनीशियनों को दो वर्ष के लिये इकाइयों की सतत् निगरानी, समस्या निवारण एवं अनुपयुक्त पानी के डीफ्लोराइडेशन की निगरानी हेतु लगाया जाना था। स्वीकृति के अनुसार इन सभी गतिविधियों को केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाना था तथा दो वर्ष की अवधि यानी मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था। केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान को मार्च 2013 में ₹ 8.96 करोड़ एवं मार्च 2014 में ₹ 0.45 करोड़ का भुगतान किया गया।

यह देखा गया कि केन्द्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ने लगभग एक वर्ष छः माह की अवधि अर्थात् जुलाई 2014 तक केवल 24 रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की आपूर्ति की, जिसमें से आठ संयंत्र स्थापित किये गये। स्वीकृति के अनुसार आठ जिलों में सभी रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों को मय अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के दो साल में स्थापित करना था जिसके लिए तकनीशियनों को दो वर्ष हेतु नियुक्त करने की योजना थी। यह तभी संभव था जब रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना कर दी जाती तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां चलाने के लिये तकनीशियनों को किराये पर लिया गया होता। तथापि, दो जिलों में केवल आठ रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना (झुंझुनू

<sup>12</sup> भरतपुर, चूरू, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर

जिले में सात एवं सीकर जिले में एक) और यहां तक कि मंजूरी की तारीख से 18 महिने के बाद भी तकनिशियनों की नियुक्ति नहीं होना, निर्धारित समय रेखा के भीतर वांछित गतिविधियों के पूरा होने में देरी की महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है।

सरकार ने संयंत्र स्थापना के संदर्भ में कार्य के निष्पादन की धीमी प्रगति को स्वीकार किया। यह रेखांकित करता है कि रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्रों की स्थापना में देरी, अंततः लक्षित आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में देरी करेगी। आगे, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां प्रारम्भ नहीं की गई थी।

### (ii) बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नवम्बर 2009 में श्री कृष्ण गौशाला, जालेडा, बारां में विकेन्द्रीयकृत मोड पर केप्टिव ऊर्जा उत्पादन के लिये पशु गोबर/वैकल्पिक फीड सामग्री आधारित बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना हेतु ₹ 24.35 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। संयंत्र की स्थापना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर पाइलेट/विशिष्ट परियोजना के तहत श्री महावीर गौ शाला कल्याण संस्थान, बारां (संस्थान) द्वारा की जानी थी एवं संस्थान से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करनी थी।

स्वीकृत राशि ₹ 24.35 लाख में से राशि ₹ दो लाख का परियोजना के परामर्श हेतु ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली को भुगतान किया गया, संस्थान को नवम्बर 2009 में सीधे ही ₹ 7.18 लाख का भुगतान किया गया एवं कार्य की प्रगति के अनुसार, संस्थान को भुगतान करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा को ₹ 15.17 लाख दिये गये, जिसमें से केवल ₹ 6.15 लाख संस्थान को भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त, निधियों के बिना उपयोग के रहने से क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा ने सितम्बर 2011 में शेष बची राशि ₹ 8.97<sup>13</sup> लाख को सरकारी खाते में जमा करा दिया। संस्थान को भुगतान की गयी राशि ₹ 6.15 लाख के बिना उपयोग के रहने से लेखापरीक्षा के कहने पर अप्रैल 2014 में सरकारी खाते में प्रेषण किया गया। संस्थान, बायो-गैस संयंत्र निर्माण पर केवल ₹ 7.18 लाख का ही उपयोग कर सका। ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली भी ₹ दो लाख का उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि संस्थान द्वारा बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना नहीं की थी।

इस प्रकार, केप्टिव ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिये बायो-गैस संवर्धन संयंत्र की स्थापना के मूल उद्देश्य से वंचित रहना पड़ा क्योंकि बायो-गैस संयंत्र का निर्माण परियोजना का केवल एक हिस्सा था, जिस पर संस्थान ने ₹ 7.18 लाख का

<sup>13</sup> ₹ 8.97 लाख (₹ 9.02 लाख- बैंक कमीशन ₹ 0.05 लाख)



उपयोग किया था। इसके अलावा, स्वीकृति में परिकल्पित तिमाही प्रगति रिपोर्ट, संस्थान से प्राप्त नहीं की गयी थी, जो विभाग की निगरानी में कमी को इंगित करता है।

सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) कि संवर्धन प्रौद्योगिकी हस्तान्तरित नहीं की जा सकी। आगे, कहा गया कि स्थापित बायो-गैस संयंत्र, विभाग द्वारा आवश्यक बैक-अप और सहायता उपलब्ध कराने के बाद गोबर के साथ कचरे के उपचार के लिये नगरपालिका, बारां द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तथापि, विभाग द्वारा अब तक कोई बैक-अप और सहायता प्रदान नहीं की गई। राज्य सरकार ने परामर्श शुल्क के संबंध में कहा कि ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ने आश्वासन दिया है कि बायो-गैस संयंत्र के लिए परामर्श प्रदान कर पूर्व में अदा परामर्श शुल्क को समायोजन किया जा सकता है।

### 3.2.3 सारांश

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं समाज प्रभाग विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों से संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिये प्रौद्योगिकी आधारित सहायता प्रदान करता है। यद्यपि, गतिविधियों की रूपरेखा सहित पांच साल की योजना तैयार की गयी थी, लेकिन योजना के क्रियान्वयन हेतु कोई रोडमैप या रणनीति तैयार नहीं की गयी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पाइलेट/विशिष्ट परियोजना के अन्तर्गत बायो-गैस संवर्धन संयंत्र एवं रिवर्स ऑसमोसिस संयंत्र की स्थापना पर ₹ 11.27 करोड़ का व्यय किया था। परियोजना के क्रियान्वयन में कमी रही जैसे निष्पादन की धीमी गति एवं निधियों के उपयोग का अभाव। इसके अलावा, विलवणीकरण संयंत्रों से निकले रसायन युक्त अनुपयुक्त पानी को शोधन प्रक्रिया के माध्यम से निकालने के बजाय सीधे ही परित्यक्त कुओं में डाला जा रहा था जिससे भू-जल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग

### 3.3 राज्य सड़क निधि का उपयोग

#### परिचय

राज्य सड़कों के विकास एवं ऐसी परियोजनाएँ, जो राज्य सड़कों के विकास के लिए विहित की जाये, को निधि संवितरित करने हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अंतर्गत सितम्बर 2004 में सड़क विकास निधि स्थापित की गयी। इस प्रयोजन के लिए पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर 50 पैसा प्रति लीटर की दर से “उपकर” उद्गृहीत किया गया। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अनुसार राज्य सड़क को ऐसे परिभाषित किया गया था जिसमें राज्य के भीतर की समस्त सड़कें और इसके अंतर्गत समस्त भूमियां एवं उससे अनुलग्नक, समस्त पहुंच मार्ग, पुल, फ्लाई ओवर, पुलियाएँ, सुरंगें, काजवे, वाहन मार्ग, सभी बाड़ें, वृक्ष, चौकियां और सीमाएँ शामिल हैं।

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान राज्य सड़क निधि से सार्वजनिक निर्माण विभाग के 98 खण्डों को निधियों का आवंटन किया गया था। इनमें से 25 खण्डों<sup>14</sup> का सामान्य रेन्डम नमूना पद्धति को अपनाते हुए फील्ड अध्ययन हेतु चयन किया गया। 2009-10 से 2013-14 की अवधि की लेखापरीक्षा (अप्रैल से जून 2014) यह आवश्यकता होने के विचार के साथ कि निधियों का उपयोग राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, की गई। ध्यान में आये निष्कर्षों को राज्य सरकार को सितम्बर 2014 में जारी किया गया, जिनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।

#### 3.3.1 योजना

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (संशोधित) नियम, 2005 के नियम 7 में प्रावधान है कि राज्य सड़क विकास निधि के प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 की धारा 9 की उपधारा 2 के अन्तर्गत एक राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्धन बोर्ड गठित किया जायेगा। बोर्ड को निधियों के प्रबन्धन हेतु कार्यान्वयन नीतियां और प्रक्रियाएँ बनानी थी और राज्य सरकार को उनकी सिफारिश करनी थी। यह भी प्रावधित किया गया था कि बोर्ड दीर्घकालीन और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएँ बनायेगा, परियोजनाओं के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान करेगा, वित्तीय योजनाओं की सिफारिश करेगा,

<sup>14</sup> आबूरोड, अलवर-I, भरतपुर-II, बीकानेर डी डी आई, चौहटन, चौमहला, दौसा, धरियावाद, इटावा, हिण्डोन, झुन्झुनू, मालपुरा, मेड़तासिटी, नागौर, निम्बाहेड़ा, नोहर, पाली, परबतसर, फुलेरा, रतनगढ़, सांगोद, सरदार शहर, शाहबाद, टोडारायसिंह, उदयपुर डीडी-III।

विभिन्न सड़क उपयोगकर्ताओं से जानकारी लेकर केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा और निधि के विनियोग की नीतियां बनायेगा।

### **बोर्ड का अकार्यशील रहना**

हमने पाया कि राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में 11 सदस्यों के साथ बोर्ड का गठन किया गया। इसमें पाँच गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत किये गये थे। पाँच गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दिसम्बर 2008 में समाप्त हो गया। राज्य सरकार द्वारा इसके बाद गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया। इनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड जनवरी 2009 से अकार्यशील रहा एवं कार्यों को राज्य सरकार के आयोजना एवं वित्त विभाग से अनुमोदित कराकर स्वीकृत किया गया। बोर्ड की सिफारिश बिना कार्यों को स्वीकृत करने की जो प्रक्रिया अपनाई गयी वह अधिनियम के विरुद्ध थी। परिणामस्वरूप, बोर्ड के अकार्यशील रहने से विशेष महत्वपूर्ण कार्यकलाप जैसे दीर्घकालीन और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएँ बनाना, परियोजनाओं के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान करना, वित्तीय योजनाओं की सिफारिश करना आदि नहीं किये जा सके।

### **3.3.2 वित्तीय प्रबन्धन**

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उद्गृहीत उपकर की आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा की जायेगी और राज्य सरकार, यदि राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा इस निमित्त किये गये विनियोग द्वारा ऐसे उपबन्ध करे तो ऐसे आगम को संग्रहण के व्यय<sup>15</sup> की कटौती करने के पश्चात समय-समय पर निधि में जमा करायेगी। राज्य सड़क विकास निधि में जो राशि जमा होगी उसकी राज्य सड़कों के विकास एवं राज्य सड़क विकास की ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग ली जावेगी जो अधिनियम में वर्णित हो। बोर्ड, परियोजनाओं के लिए निधि के आवंटन हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करेगा एवं कार्यान्वयन एजेन्सियों, परामर्शदाताओं या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को, जो कार्यान्वयन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में निधि के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त हो, को निधि का संवितरण प्राधिकृत करेगा। बोर्ड, राज्य सरकार को राज्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की अनुमति या अन्य पूंजीगत सहयोग के लिए भी सिफारिश करेगा।

<sup>15</sup> संग्रहित उपकर का एक प्रतिशत

2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य सड़क विकास निधि से निधियों की प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 13: निधियों की प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	कुल प्राप्तियां, संग्रहण व्यय को छोड़कर	योग	वितरण				अनुपयोगी राशि
				रिडकोर <sup>16</sup>	आर एस आर डी सी सी <sup>17</sup>	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कुल	
2009-10	23.43	234.32	257.75	46.54	50.00	103.98	200.52	57.23
2010-11	57.23	250.00	307.23	19.95	91.75	129.66	241.36	65.87
2011-12	65.87	283.65	349.52	100.00	124.00	65.61	289.61	59.91
2012-13	59.91	314.54	374.45	50.00	116.20	58.10	224.30	150.15
2013-14	150.15	300.46	450.61	41.68	75.00	145.27	261.95	188.66
<b>योग</b>		<b>1382.97</b>		<b>258.17</b>	<b>456.95</b>	<b>502.62</b>	<b>1217.74</b>	

स्रोत: सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संकलित आंकड़े।

हमने पाया कि जनवरी 2009 से बोर्ड के कार्यरत न रहने के कारण, कार्यकारी संस्थाओं को निधियों का आवंटन, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था। अनुपयोगी/अवरूद्ध निधि, निधि का विचलन एवं अन्य अनियमितताओं के मामले, जो ध्यान में आये, उनकी चर्चा नीचे की गई है:

#### **बोर्ड की सिफारिश के बिना निधियां जारी करना**

यह ध्यान में आया कि बोर्ड के कार्यरत न रहने के कारण उनकी सिफारिश के बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान राशि ₹ 456.95 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को मार्जिन मनी तथा ₹ 258.17 करोड़ राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड को सॉफ्ट लोन के रूप में आवंटित कर दी। इस अवधि में, अवशेष निधि ₹ 502.62 करोड़, जो कि ऊपर सारणी में दर्शाई गई है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी। राज्य सड़कों के व्यवस्थित निर्माण व निधि के उपयोग के लिये कार्ययोजना बनाये बिना खण्डों के द्वारा आवश्यकता के आंकलन के आधार पर निधियां जारी की गई।

#### **राज्य सड़क निधि में निधियां कम जमा करना**

यह पाया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में राशि ₹ 1430.05 करोड़ उपकर के रूप में संकलित की गई इसमें से राशि ₹ 14.32 करोड़ संकलन प्रभार के रूप में कटौती की। तथापि, केवल राशि ₹ 1382.97 करोड़ राज्य सड़क निधि में जमा कराई गई। इस प्रकार, वाणिज्यिक

<sup>16</sup> राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड

<sup>17</sup> राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

कर विभाग द्वारा राज्य सड़क निधि में राशि ₹ 32.76 करोड़ कम जमा कराई (परिशिष्ट-3.1)। इसके कारण, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

### **रोड ओवर ब्रिज निर्माण सम्बन्धी रेलवे से हिस्सा राशि प्राप्त न होना**

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 389 में प्रावधान है कि रेल सड़क क्रॉसिंग के मामले में वित्तीय देयता, रेलवे और राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच पारस्परिक सहमति के आधार पर बांटी जायेगी। रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में रोड ओवर ब्रिज के निर्माण की 50 प्रतिशत हिस्सा राशि परियोजना के पूरा होने के बाद रेलवे द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने वर्ष 2005 से 2008 के दौरान 16 रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए ₹ 173.08 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड इन रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों के लिए नोडल एजेंसी थी। सितम्बर 2013 तक राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 112.94 करोड़ व्यय करने के बाद 16 रोड ओवर ब्रिज में से नौ रोड ओवर ब्रिज पूर्ण कर लिये गये।

राज्य सड़क निधि और राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के फरवरी 2014 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन की संवीक्षा में पता चला कि इन नौ रोड ओवर ब्रिज पर कुल व्यय ₹ 112.94 करोड़ किया गया। तथापि रेलवे ने केवल ₹ 13.19 करोड़ की प्रतिपूर्ति की तथा रेलवे द्वारा शेष राशि ₹ 43.27 करोड़ की प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं की गयी (दिसम्बर 2014)। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तथापि, रेलवे और राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड से प्रतिपूर्ति मुद्दे को सक्रियता से नहीं उठाया।

### **राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्ण हुए कार्यों की शेष राशि नहीं लौटाना**

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को 2006 से 2012 के दौरान 21 रोड ओवर ब्रिज आवंटित किये गये, जिनमें से 16 रोड ओवर ब्रिज राज्य सड़क निधि से वित्त पोषित थे। हमारी जांच में प्रकट हुआ कि 16 रोड ओवर ब्रिज में से नौ रोड ओवर ब्रिज (2011 में दो, 2012 में चार और 2013 में तीन) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा आवंटित राशि ₹ 117.94 करोड़ के विरुद्ध ₹ 112.94 करोड़ व्यय कर पूर्ण किये गये। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा शेष राशि ₹ पाँच करोड़ कार्य पूर्ण होने के बाद भी नहीं लौटाई गयी।

### 3.3.3 परियोजना प्रबन्धन एवं परियोजना का अनुश्रवण

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (संशोधित) नियम, 2005 के नियम 8 के अनुसार, बोर्ड, परियोजना के लिए विविध विकल्पों की पहचान करेगा एवं परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन अनुसूचियों पर विचार करेगा। आगे, बोर्ड, परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सलाह एवं मार्गदर्शन देगा कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन अनुसूचि और गुणवत्ता अनुबन्धों के अनुसार हो रहा है तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ परियोजनाओं के विकास, निर्माण, मरम्मत, पुनर्वास, उन्नयन, सुधार, संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करेगा।

बोर्ड के अकार्यशील रहने से, जो कार्य राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किये जा रहे थे उनका अनुश्रवण नहीं किया जा सका तथा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा निर्धारित समय में गुणवत्ता अनुबन्धों के साथ कार्य पूर्ण कर दिये थे।

#### **लेखे संधारित न होना**

राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 की धारा 8 के अनुसार, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग, समुचित लेखे एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज संधारित करेंगे एवं निधि से हिस्सा राशि आवंटन के सम्बन्ध में लाभ हानि लेखे एवं चिट्ठा सहित वार्षिक विवरणी लेखे तैयार करेंगे। यह जानकारी में आया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक लेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। राज्य सड़क निधि के वार्षिक लेखों के संधारण के अभाव में गलती एवं अनियमितता की जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता।

### 3.3.4 सारांश

राज्य सड़कों के विकास एवं राज्य सड़क विकास की परियोजनाओं के लिए निधि के वितरण हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत सड़क विकास निधि का गठन सितम्बर 2004 में किया गया। राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्धन मण्डल जनवरी 2009 से अभी तक कार्यरत नहीं था। राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को बिना बोर्ड की सिफारिश के निधियां जारी की गईं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा राशि ₹ 32.76 करोड़ राज्य सड़क निधि में कम जमा करायी गई। रेलवे द्वारा रोड ओवर ब्रिज निर्माण का हिस्सा पुनर्भरण नहीं किया गया एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने पूर्ण कर दिये कार्यों की अवशेष राशि वापिस नहीं की।

## इन्दिरा गांधी नहर विभाग

### 3.4 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली

#### परिचय

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य रेगिस्तान को फैलने से रोकना एवं रेगिस्तानी बंजर भूमि को कृषि उत्पादक क्षेत्र में बदलना है। बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है। 204 किमी लम्बी फीडर एवं 189 किमी तक की मुख्य नहर व इसकी वितरण प्रणाली चरण-I में आती है। 189 किमी से अंत तक की इंदिरा गांधी मुख्य नहर, इसकी छः लिफ्ट योजनाओं की वितरण प्रणाली के साथ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-II में आती है।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई के उद्देश्य के लिए अधिक पानी की खपत वाली बाढ़ सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा था। हाल ही में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की उपलब्धता घट-बढ़ रही थी। लिफ्ट योजनाओं के लिए जलांक<sup>18</sup> दो क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ था तथा इस जलांक से बाढ़ सिंचाई प्रणाली के द्वारा क्षेत्र को सिंचित करना मुश्किल था। पीने, विद्युत उत्पादन, उद्योगों एवं सुरक्षा उद्देश्यों जैसे अन्य उद्देश्यों में पानी की अधिक आवश्यकता के कारण, सिंचाई के लिये पानी की कुल उपलब्धता में कमी आ गई थी।

पानी के समुचित आवंटन एवं उपयोग की विधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार ने फरवरी 2007 में निश्चित किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोर्ड को लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। किसानों की कृषि भूमि पर फव्वारों को लगाया जाना था।

राज्य सरकार ने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-II की छः लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में 31384 हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र<sup>19</sup> के प्रस्तावित कवरेज हेतु ₹ 83.10 करोड़ की फव्वारा सिंचाई प्रणाली की विस्तृत पाइलट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सितम्बर 2007 में अनुमोदित की जिसमें डिगिंगों<sup>20</sup>, फीडर चैनल्स, पंप घरों, पाईप लाईनों का निर्माण, विद्युत कार्य एवं 24 फव्वारा सिंचाई प्रणालियां लगाई जानी थी

<sup>18</sup> जलांक वितरिका के शीर्ष से छोड़े जाने वाले पानी की डिजाइन की गई मात्रा है।

<sup>19</sup> सिंचाई प्रणाली से सिंचित किया जा सकने वाला क्षेत्र

<sup>20</sup> जल भंडारण टैंक

जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 14: कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र एवं प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	प्रणाली	कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टर में)	लघु नहरों की संख्या	पाइलट परियोजना के लिए प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टर में)
1	बांगडसर लिफ्ट	10000	1	2105
2	गजनेर लिफ्ट	75000	2	4581
3	कोलायात लिफ्ट	117000	6	8747
4	फलोदी लिफ्ट	63000	3	3167
5	पोखरण लिफ्ट	32000	1	1596
6	साहवा लिफ्ट	240000	11	11188
कुल		537000	24	31384

हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II की छः लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन का क्षेत्र अध्ययन (अक्टूबर से नवम्बर 2013 एवं मई 2014) विभिन्न कार्यकारी खण्डों<sup>21</sup> में किया। निष्कर्षों को सरकार को जून 2014 में जारी किया गया और उनके प्राप्त उत्तर (जुलाई एवं अगस्त 2014) को ध्यान में रखा गया।

ध्यान में आये निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:

### 3.4.1 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का क्रियान्वयन

(अ) इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II की छः लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में डिगिंगों, फीडर चैनल्स, सम्प वैल्स, पंप घरों के निर्माण, उच्च घनत्व वाली पोलिथीन पाईप लाईनों के बिछाने, जोड़ने एवं जांचने तथा विद्युत पम्प सेटों को लगाने का कार्य विभिन्न संवेदकों को, कायदेश में दी गई निर्धारित समय सीमा में करने हेतु दिया गया। दो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं यथा कोलायात एवं साहवा लिफ्ट योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का कार्य पूर्ण कर दिया गया तथा उनसे सिंचाई का कार्य क्रमशः 2011-12 एवं 2010-11 में प्रारम्भ कर दिया गया एवं ऊपर सारणी में दिये गये चार अन्य कार्य पूर्णता की विभिन्न अवस्था में हैं। इन चार लिफ्ट योजनाओं के कायदेश देने, प्रारम्भ करने की तिथि, पूरा करने की निर्धारित तिथि, किया गया व्यय एवं कार्य अपूर्ण रहने के कारण सम्बन्धी विवरण

<sup>21</sup> 24वां व 28वां खण्ड फलोदी, 14वां खण्ड बीकमपुर, 20वां खण्ड बीकानेर, कोलायात लिफ्ट खण्ड, बीकानेर व सर्वे और जांच खण्ड-I, रावतसर



नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 15: चार लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कार्य की स्थिति

क्र. सं.	खण्ड का नाम	लिफ्ट योजना का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	दिये गये कार्य की राशि (₹ करोड़ में)	कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि	मार्च 2014 तक किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	कार्य की स्थिति
1	अधिशाषी अभियन्ता, 14वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर	बांगडसर लिफ्ट योजना	29.2.2008 एवं 12.4.2008 के बीच	10.36	30.1.2009 एवं 11.3.2009 के बीच	6.87	मूल संवेदक ने फीडर चैनल, पम्प घर एवं डिगिंगों के कार्य को अधूरा छोड़ दिया। शेष कार्य को अन्य संवेदक को दिया गया जो जुलाई 2014 में पूर्ण हो गया। परन्तु विद्युत कार्य पूरा नहीं करने के कारण डिगिंगों में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।
2	अधिशाषी अभियन्ता, 20वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	गजनेर लिफ्ट योजना	9.3.2008 एवं 20.3.2008 के बीच	11.32	19.12.2008 एवं 11.3.2009 के बीच	12.70	डिगिंगों में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया तथा पाईपलाइनों को बिछाने एवं जोड़ने का कार्य अपूर्ण था (दिसम्बर 2014)।
3	अधिशाषी अभियन्ता, 24वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	फलौदी लिफ्ट योजना	14.1.2008 एवं 7.5.2008 के बीच	7.92	13.12.2008 एवं 6.4.2009 के बीच	9.73	डिगिंगों में विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।
4	अधिशाषी अभियन्ता, 28वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	पोखरण लिफ्ट योजना	21.2.2008 एवं 21.4.2008 के बीच	4.40	20.1.2009 एवं 20.3.2009 के बीच	5.37	मार्च 2014 तक 1596 हैक्टर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से 1559.91 हैक्टर में फव्वारा वितरण प्रणाली को विकसित किया जा चुका था। लेकिन फव्वारा प्रणाली को किसानों की कृषि भूमि पर स्थापित करने के बजाय चरागाह भूमि पर स्थापित किया गया। चरागाह भूमि को किसानों को आवंटित करने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2011 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही सरकारी भूमि का भी उपयोग किया गया जो कि किसानों को आवंटित नहीं की गई थी। डिगिंगों को भी विद्युत कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया। (दिसम्बर 2014)।

सरकार ने तीन योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने में देरी होना स्वीकार किया। गजनेर लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में आगे बताया कि लिफ्ट कमान की ऊपर वाली रीचों के प्रभावशाली किसानों ने जल उपभोक्ता संगठन बनाने एवं विद्युत कनेक्शन लगाने में रुकावट पैदा की क्योंकि वे अन्य किसानों के हिस्सा का उपयोग कर रहे थे। सरकार ने फलौदी लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में बताया कि डिगियों में विद्युत कनेक्शन में देरी, किसानों की अनिच्छा की वजह से हुई क्योंकि वे प्रणाली के लाभों के बारे में जागरूक नहीं थे एवं बांगड़सर लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में बताया कि शेष कार्य अन्य संवेदक को दिया जा चुका है जो अब पूर्ण हो चुका है (दिसम्बर 2014)।

पोखरण लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बताया कि योजना की स्वीकृति वर्ष 2007 में जारी की गई थी जबकि चरागाह भूमि के आवंटन पर राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में रोक लगाई थी। इसमें आगे बताया गया कि किसानों को आवंटित किये जाने के बाद ही सरकारी भूमि का प्रयोग किया जायेगा।

(ब) पायलेट फव्वारा सिंचाई प्रणाली के परियोजना प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, लक्षित सिंचाई सघनता<sup>22</sup> 60 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, छः योजनाओं के 31384 हैक्टर के कुल प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से, रबी एवं खरीफ मौसम हेतु 60 प्रतिशत सिंचाई सघनता पर वार्षिक प्रत्याशित सिंचाई 18830 हैक्टर निर्धारित की गयी। फव्वारा सिंचाई प्रणाली का 30 प्रतिशत निर्माण कार्य 2007-08 तक तथा शेष 70 प्रतिशत कार्य 2008-09 तक करना भी प्रस्तावित किया गया था।

संवीक्षा में पाया गया कि ऊपर वर्णित कुल प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से कुल आच्छादित क्षेत्र 27435 हैक्टर था एवं दो पूर्ण लिफ्ट योजनाओं यथा कोलायत एवं साहवा लिफ्ट योजनाओं के 16110 हैक्टर में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। इस प्रकार, मार्च 2014 तक चार लिफ्ट योजनाओं में ₹ 34.67 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, 11325 हैक्टर आच्छादित कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य, फव्वारा सिंचाई प्रणाली के कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण, पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के

<sup>22</sup> सिंचाई सघनता का अर्थ, कृषि योग्य कमान क्षेत्र के प्रतिशत से है जिसमें वार्षिक सिंचाई प्रस्तावित की जानी है।

दौरान चार योजनाओं में असिंचित कृषि भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 16: चार योजनाओं में असिंचित कृषि भूमि का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का नाम	लिफ्ट नहर का नाम	प्रस्तावित कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टर में)	आच्छादित कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टर में)	लक्षित सिंचाई आच्छादित कृषि योग्य कमान क्षेत्र का 60 प्रतिशत (हेक्टर में)	उपलब्धि 2010-11 से 2013-14	कुल व्यय (₹ करोड़ में)
1	अधिशाषी अभियन्ता, 14वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर	बांगडसर लिफ्ट योजना	2105	2030	1218	-	6.87
2	अधिशाषी अभियन्ता, 20वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	गजनेर लिफ्ट योजना	4581	4592	2756	-	12.70
3	अधिशाषी अभियन्ता, 24वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	फलौदी लिफ्ट योजना	3167	3143	1886	-	9.73
4	अधिशाषी अभियन्ता, 28वाँ खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी	पोखरण लिफ्ट योजना	1596	1560	936	-	5.37
कुल			11449	11325	6796	-	34.67

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया और बताया (जुलाई 2014) कि राज्य में फव्वारा सिंचाई प्रणाली की शुरुआत पूरी तरह से नई अवधारणा थी। यह भी बताया गया कि लिफ्ट योजनाओं में विलम्ब, क्षेत्रीय कठिनाइयों जैसे विद्युत विभाग द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विद्युत लाइने बिछाने में देरी, राज्य सरकार द्वारा कार्य निष्पादन पर अस्थायी रूकावट, कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने के कारण देरी एवं किसानों द्वारा भागीदारी प्रबंधन की अवधारणा को समझने में लिया गया समय, के कारण हुई थी। तथापि, तथ्य यह है कि लक्षित सिंचाई का लक्ष्य किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं किया जा सका था।

### 3.4.2 जोखिम और लागत की वसूली का अभाव राशि ₹ 2.63 करोड़

अनुबंध समझोते की धारा 3(सी) के अनुसार, संवेदक को नोटिस देने के बाद, कार्य के अनिष्पादित भाग को पूर्ण करने हेतु अन्य संवेदक को दिया जायेगा। मूल संवेदक को भुगतान की जाने वाली राशि, यदि पूरा कार्य मूल संवेदक द्वारा ही किया जाता, से अधिक व्यय होने पर, अधिक व्यय की राशि की कटौती, मूल संवेदक से, उसको इस अनुबंध या अन्य खाते में देय राशि में से की जायेगी।

इंदिरा गांधी नहर बोर्ड ने फरवरी 2008 में बांगड़सर लिफ्ट नहर की पृथ्वीराज का बेड़ा माइनर में फीडर चैनल्स, पम्प घर एवं डिगिंगों के निर्माण कार्य की निविदा मैसर्स मनोहर कन्सट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर (संवेदक) को राशि ₹ 2.57 करोड़ ('जी' अनुसूची से 15.97 प्रतिशत ऊपर) में स्वीकृत की थी। अधिशाषी अभियन्ता, बिरसलपुर शाखा, खण्ड-II, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बज्जू ने फरवरी 2008 में कार्यदेश जारी किया जिसके अनुसार कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की निर्धारित तिथि क्रमशः 29 फरवरी 2008 एवं 30 जनवरी 2009 थी।

संवेदक ने राशि ₹ 47.46 लाख का कार्य निष्पादित करने के बाद 11 अगस्त 2008 को कार्य बंद कर दिया। शेष कार्य को संवेदक द्वारा शुरू नहीं करने के कारण, मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर ने अनुबंध की धाराओं के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली का आदेश 17 दिसम्बर 2009 को दिया तथा संवेदक की जोखिम एवं लागत पर शेष कार्य को कराने का आदेश दिया। राशि ₹ 1.81 करोड़ का शेष कार्य, मैसर्स रामनारायण रामेश्वर लाल (अन्य संवेदक) को राशि ₹ 4.73 करोड़ ('जी' अनुसूची से 161.75 प्रतिशत अधिक) में सितम्बर 2013 में दिया गया। कार्य मार्च 2014 तक प्रगति पर था। राशि ₹ 2.63 करोड़<sup>23</sup> का अतिरिक्त दायित्व मूल संवेदक से वसूल किया जाना था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि संवेदक ने वसूली प्रक्रिया के खिलाफ स्थगन आदेश ले लिया है तथा इन्दिरा गांधी नहर विभाग, स्थगन आदेश को हटाने तथा मामले का निपटारा करने का प्रयास कर रहा है।

### 3.4.3 श्रम उपकर की कटौती का अभाव राशि ₹ 5.85 लाख

श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार ने वित्त विभाग की स्वीकृति के साथ, कार्य की कुल लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर लगाने का निर्देश जुलाई 2010 में जारी किया। इसके लिए प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2009 निर्धारित की गई थी।

<sup>23</sup> ₹ 4.79 करोड़ (पुनः निविदा की लागत) - ₹ 2.10 करोड़ (मूल संवेदक द्वारा निष्पादित नहीं किये गये कार्य की लागत)

नीचे दिये गये विवरण के अनुसार, तीन खण्डों (अधिशायी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं जांच लिफ्ट खण्ड-I, रावतसर, 14वाँ खण्ड, बीकमपुर, कोलायत लिफ्ट खण्ड बीकानेर) में एक प्रतिशत की दर से राशि ₹ 5.85 लाख का श्रम उपकर नहीं काटा गया था।

तालिका 17: नहीं काटे गये श्रम उपकर का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	संवेदक को किया गया भुगतान	नहीं काटे गये श्रम उपकर की राशि
1	अधिशायी अभियन्ता, 14वाँ खण्ड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर	85.29	0.85
2	अधिशायी अभियन्ता, कोलायत लिफ्ट खण्ड इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	374.20	3.74
3	अधिशायी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं जांच लिफ्ट खण्ड-I इंदिरा गांधी नहर परियोजना, रावतसर	125.57	1.26
<b>कुल</b>		<b>585.06</b>	<b>5.85</b>

सरकार ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार श्रम उपकर की कटौती जुलाई 2010 से की जानी थी तथा कार्य 2010 से पूर्व आवंटित किये गये थे अतः कोई कटौती नहीं की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्रम उपकर की कटौती की प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2009 थी तथा तदनुसार कटौती की जानी चाहिए थी।

#### 3.4.4 सारांश

पानी के समुचित उपयोग करने की विधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को समझते हुए राज्य सरकार ने निश्चित किया (फरवरी 2007) कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना बोर्ड को लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अपनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। दो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का कार्य पूर्ण हो चुका था परन्तु चार अन्य लिफ्ट योजनाओं में राशि ₹ 34.67 करोड़ का व्यय हो जाने के बावजूद कार्य अपूर्ण रहने से सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। मूल संवेदक, जिसने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया था, से अतिरिक्त दायित्व की राशि ₹ 2.63 करोड़ की भी वसूली नहीं की गई।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग

### 3.5 सड़क निर्माण पर निष्फल व्यय

#### महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य पर ₹ 2.91 करोड़ का निष्फल व्यय

जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 'कीर की चौकी से सलूमबर सड़क' के बीच किमी 60 से 82 तक कुल 22 किमी लम्बाई को सात भागों में बांटते हुए वाटर वाउण्ड मैकेडम स्तर तक चौड़ी करने हेतु ₹ 10.81 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी (जून 2010)। तदनुसार, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सलूमबर द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी भागों हेतु निविदा प्रकाशित की गयी (अगस्त 2010)। अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान विभिन्न संवेदकों को कार्यों का आवंटन किया गया। सुरक्षा कार्यों यथा रिटेनिंग वाल, क्रास ड्रेन स्थल पर सीमेंट पाइपिंग इत्यादि आइटमों के निष्पादन पर राशि ₹ 2.91 करोड़ का व्यय किया गया। उक्त संपूर्ण स्ट्रेच पर चूँकि कार्य निष्पादन राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा था इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को रोक दिया गया (मार्च 2011)।

राज्य सरकार द्वारा इस सड़क को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से टोल आधारित परियोजना के रूप में विकसित करने का निश्चय किया गया (जुलाई 2010) और सड़क को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को हस्तान्तरित करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा सड़क यातायात एवं उच्च मार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया (अगस्त 2010)। तदनुसार, सड़क को वर्तमान 3 से 5.5 मीटर एकपथ से 7 मीटर द्विपथ केरीजवे सहित 10-12 मीटर से 20 मीटर तक चौड़ा किया गया। इस उद्देश्य हेतु, वर्तमान सभी ढांचो यथा, कल्वर्ट, पुलिया, रिटेनिंग वाल और मेसोनरी, सीमेंट कंक्रीट, स्टील कार्य के अन्य ढांचे तथा फ्लेक्सबिल पेवमेंट सहित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित ढांचों को शामिल करते हुए हटा दिये गये और ग्रेन्यूअल सबवेस, वैट मिक्स मेकेडम, डेंस बिटुमिन मेकेडम और बिटुमिनस कंक्रीट के मिश्रण से नई क्रस्ट तैयार की गयी। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कार्य फरवरी 2011 में शुरू किया गया व जून 2012 में परियोजना पूर्ण की गयी।

इस प्रकार, सड़क को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से टोल परियोजना के रूप में विकसित करने के राज्य सरकार के निर्णय (जुलाई 2010) की जानकारी होते हुए भी, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्ट्रेच के सभी सात भागों के लिए निविदा आमंत्रित की गयी (अगस्त 2010) जिसके परिणामस्वरूप महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ₹ 2.91 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि सभी निष्पादित कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तोड़ दिये गये थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जून 2014) कि विभाग ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रिटेनिंग वाल और कलवर्ट कार्यों का निष्पादन किया तथा कार्य जैसे पुलिया, मेसोनरी व सीमेंट कंक्रीट इत्यादि को शामिल करते हुए अन्य ढांचों का महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निष्पादन नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि विभाग द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को माह मार्च 2011 में रोक दिया गया (राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा अप्रैल 2011 में इस सड़क पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व) और राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने विभाग द्वारा निष्पादित किसी कार्य को नहीं तोड़ा। उत्तर इस तथ्य को देखते हुए विश्वसनीय नहीं है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड ने लागत समीक्षा में सड़क निर्माण वाली भूमि की क्लियरिंग व ग्रबिंग और कलवर्ट, पुलिया, रिटेनिंग वाल सहित मेसोनरी, सीमेंट कंक्रीट और स्टील कार्यों इत्यादि वर्तमान ढांचों को हटाने के आइटमों को शामिल किया और बिल्ट ओपरेट और ट्रांसफर मानदण्डों के अनुसार कार्यों के निष्पादन से पूर्व सभी विद्यमान कार्यों को हटा दिया गया। आगे, अधिशाषी अभियंता, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला परिषद, उदयपुर द्वारा जिला कलेक्टर, उदयपुर को मई 2011 में प्रस्तुत विस्तृत प्रतिवेदन से भी इसकी पुष्टि हुई कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित सभी कार्यों को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा हटा दिया गया। जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा भी संपूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु सुझाव दिया गया।

### 3.6 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोषों का अनियमित उपयोग

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोषों ₹ 6.73 करोड़ का अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित उपयोग**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 11.5 में उल्लेखित है कि दरों की वार्षिक अनुसूची के आधार पर यह आशा की जाती है कि औसत निविदा लागत अनुमानित लागत के लगभग समान होगी। राज्य ग्रामीण सड़क

विकास एजेन्सी<sup>24</sup> द्वारा, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को सूचित करते हुए आधिक्य/बचत को जिले के अंतर्गत 'परियोजना कार्यान्वयन इकाई'<sup>25</sup> स्तर पर समायोजित किया जाएगा परन्तु किसी पैकेज विशेष में आधिक्य/बचत 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य सभी मामलों में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी की अनुमति आवश्यक होगी। यदि मामले में कार्य और मात्राओं में तात्त्विक विचलन है तो राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

आगे, राजस्थान लोक-निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 286(2) में उल्लेखित है कि जहां मूल प्रस्तावों में तात्त्विक विचलन होता है, चाहे उसकी लागत अन्य मदों पर की गई बचत से पूरी हो जाने की संभावना हो, तो इस प्रकार बढ़ी हुई लागत के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। नियम 352 के अनुसार किसी निश्चित परियोजना के लिए स्वीकृत अनुमान पर कोई प्रत्याशित या वास्तविक बचतें, विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे अतिरिक्त कार्य को करने में नहीं लगानी चाहिए जो मूल परियोजना में नहीं बताया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अनुमोदन के अनुसार, राज्य सरकार ने फरवरी 2004 से अक्टूबर 2009 के मध्य कोटा, बाडमेर और जोधपुर जिलों में 20 पैकेजों के तहत सड़कों के उन्नयन/निर्माण हेतु ₹ 52.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। जयपुर, कोटा और जोधपुर जोन के मुख्य अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यों की निविदा स्वीकृति के बाद, संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा मई 2004 व मार्च 2010 के मध्य कार्यदिश जारी किये गये। कार्य सितम्बर 2005 से फरवरी 2011 के मध्य ₹ 39.14 करोड़ व्यय करके पूर्ण किये गये (**परिशिष्ट 3.2**)।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा, बाडमेर और जोधपुर के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2012 से मार्च 2014) में पाया गया कि सभी पैकेजों में 11.66 से 44.65 प्रतिशत के मध्य बचत हुई। हमने आगे पाया कि संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा सड़क सुरक्षा, सुरक्षा दीवार के निर्माण और कंक्रीट कार्यों के लिए नये कार्य आदेश जारी किये गये (नवंबर 2010 से मई 2012) और अतिरिक्त नये कार्यों की लागत, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये बिना, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक थी, उक्त बीस पैकेजों में शामिल की गयी। इन नये कार्यों के निष्पादन पर ₹ 6.73 करोड़ का व्यय किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (मार्च-जून 2014) कि अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम

<sup>24</sup> एजेन्सी, जो परियोजना क्रियान्वयन इकाई से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को संकलित कर सत्यापन के पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को भेजती है।

<sup>25</sup> राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की क्रियान्विति एवं निगरानी के लिये जिम्मेदार इकाई, जो अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्य करती है।



सड़क योजना कोषों की बचत का उसी पैकेज में उपयोग हेतु जारी परिपत्र (जून 2010) की अनुपालना में किया गया और अतिरिक्त कार्यों सहित कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत था। राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन अतिरिक्त कार्यों पर किया गया व्यय मूल कार्यों की परिधि में नहीं था तथा नयी बचत का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत था जिसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी की संशोधित स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी। मुख्य अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बचत से निष्पादित किए जा रहे कार्यों को रोकने के निर्देश जारी किये (अक्टूबर 2011) क्योंकि ये कार्य उपयोगी नहीं पाये गये।

इस प्रकार, बचत राशि ₹ 6.73 करोड़ का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधानों और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियमों के विरुद्ध था।

## वन विभाग

### 3.7 कोषों का उपयोग नहीं करना

**मिटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना/ प्रस्ताव तैयार नहीं करने के कारण ₹ 24.67 करोड़ के कोषों का अनुपयोगी रहना।**

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर कोटा शहर में बाईपास बनाने हेतु 111.637 हैक्टर वन भूमि (95.048 हैक्टर कोटा वन खण्ड व 16.589 हैक्टर नेशनल घड़ियाल संचुरी के अंतर्गत) हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की (जुलाई 2007)। सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त (V) व राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्टेन्डिंग कमिटी की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ₹ 25.72 करोड़ सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमिटी को जमा कराये जाने थे। सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमिटी द्वारा उक्त राशि अलग बैंक खाते में रखी जानी थी और राजस्थान वन विभाग को निम्नलिखित मिटिगेटिव मेजर्स को लागू करने के लिए जारी की जानी थी:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आईटम का विवरण	आईटम की लागत
1	नदी के दोनों ओर एक मीटर फेन्सिंग के साथ 11.2 किमी लम्बाई में 2.5 मीटर ऊंचाई तक पत्थर की दीवार का निर्माण कार्य	3.36
2	68 किमी दीवार और 2000 हैक्टर में पौधारोपण	21.16
3	अतिक्रमण को रोकने के लिए 10 किमी में स्थायी फेन्सिंग का निर्माण	1.20

वन भूमि पर अतिक्रमण को रोकने, बाईपास सड़क पर एक किमी तक हरित पट्टी का विकास सुनिश्चित करने व मानव बस्ती और वन्य जीवों के बीच रोक लगाने हेतु बाईपास निर्माण के साथ-साथ उक्त मिटिगेटिव कार्यों का निष्पादन किया जाना था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जुलाई और दिसम्बर 2007 के मध्य उक्त राशि जमा करायी गयी। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा यह भी सिफारिश की गयी कि मिटिगेटिव कार्यों के निष्पादन हेतु, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज्य सरकार को सम्मिलित करते हुए एक निगरानी समिति का गठन किया जायेगा जो कार्य के विशिष्ट आईटमों को निर्धारित करने और उनके निष्पादन की निगरानी करेगी।

हमारी जांच में पाया गया (अगस्त 2013) कि वन संरक्षक, पूर्व, कोटा द्वारा मई 2008 में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध कोषों का उपयोग करने के लिए उक्त मिटिगेटिव कार्यों को अमल में लाने हेतु सात दिवस में कार्ययोजना बनाने हेतु उप वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा को निर्देश दिये। यह पाया गया कि सम्बन्धित खण्डों द्वारा केवल वर्ष 2007-08 और 2009-10 हेतु क्रमशः ₹ 0.66 करोड़ व ₹ 9.51 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की गयी जो कि निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित की गयी (मार्च 2008 और मई 2009)। वर्ष 2008-09 और 2010-11 से 2013-14 के लिए कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी। सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा 2007-08 और 2009-10 की कार्ययोजना के लिए क्रमशः राशि ₹ 0.66 करोड़ और ₹ 4.25 करोड़ जारी की गई (मई 2008 और नवंबर 2012)। वन विभाग ने मार्च 2014 तक स्टोन मेसोनरी दीवार (470 मीटर) और स्थायी फेन्सिंग (4.49 किमी लम्बाई) के निर्माण पर ₹ 1.05 करोड़ उपयोग किये। शेष राशि ₹ 3.86 करोड़ अभी भी विभाग के पास अनुपयोगी पड़ी हुयी थी (मार्च 2014)। सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आगे कोई राशि जारी नहीं की क्योंकि विभाग, पूर्व में जारी राशि का उपयोग नहीं कर सका।

आगे, हमारी जांच में पाया गया कि मिटिगेटिव कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए 2007-08 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान निगरानी समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित की गयी और किसी भी बैठक में वार्षिक योजनाओं या मिटिगेटिव कार्यों में असाधारण देरी पर कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। कार्यों के निष्पादन हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करना नहीं पाया गया जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के लिए कोटा बाईपास शुरू हो चुका था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि 2009-10 और 2011-12 के लिए तैयार योजना के अनुसार राशि जारी नहीं करने के कारण, मिटिगेटिव कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सका। आगे, नवम्बर 2012 में जारी राशि ₹ 4.25 करोड़ का उपयोग, निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिये जाने, नाबार्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने में स्टॉफ के व्यस्त होने और अक्टूबर 2013 में विधानसभा चुनावों के कारण नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि राज्यस्तरीय निगरानी

समिति द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये 26 मई 2014 को राशि ₹ 10.50 करोड़ की स्वीकृति जारी की गयी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने आवश्यक मिटिगेटिव कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रत्येक वर्ष कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की। शुरू किये गये कार्य दिसम्बर 2014 तक भी पूर्ण नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप जारी राशि ₹ 4.91 करोड़ में से मात्र ₹ 1.05 करोड़ ही मार्च 2014 तक व्यय किये गये। निगरानी समिति ने भी कार्य की धीमी प्रगति की कोई निगरानी नहीं की। इस प्रकार, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने राशि ₹ 20.81 करोड़ जारी नहीं की और भूमि के एक बहुत छोटे भाग पर ही मिटिगेटिव कार्य निष्पादित किये गये। इससे मानव बस्ती व वन्यजीवों के बीच रोक लगाने हेतु समानान्तर मिटिगेटिव कार्य किये जाने का मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

(एस.आलोक)

महालेखाकार

जयपुर  
दिनांक

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली  
दिनांक

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

